ग्राम पंचायत पिहड़ी, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पिहड़ी, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति कलमेश कुमारी	1.4.2013 से 22.1.2006
2.	श्री त्रिलोक चन्द	23.1.2016 से लगातार

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री साहिब सिंह	1.4.2013 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत पिहड़ी के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	6	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय	4.32
2.	8	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली	0.08
3.	9	गृहकर की वसूली की रसीदें न जारी करना	0.22

4.	10	अनुदान का उपयोग न करना	9.83
5.	12	ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान वाउचर तथा अन्य अभिलेख जांच हेतु उपलब्ध न करवाना	0.27
6.	13	पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना	9.84

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत पिहड़ी, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 13.6.2016 से 16.6.2016 तक खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013–14	9/2013	1/2014
2014–15	3/2015	3/2015
2015–16	4/2015	9/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत पिहड़ी, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹7200 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–09 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 134/2016, दिनांक 16.6.2016 द्वारा अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत पिहड़ी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत पिहड़ी के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	0	25076	25076	1030.35	24045.65
2014–15	24045.65	45208	72253.65	696.45	71557.20
2015–16	71557.20	53399	124956.20	587.92	124368.28

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत पिहड़ी के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	497276	2464173	2961499	2409038	552411
2014–15	552411	3328827	3881238	3504879	376359
2015–16	376359	3341974	3718333	2734986	983347

5. बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के परिणामस्वरूप रोकड़ वही व बैंक अन्तशेषों में ₹54695.07 का भारी अन्तर :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत पिहड़ी द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिसके कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2016 को निम्नानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों में ₹54695.07 रूपये का अन्तर था। अतः पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों से मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड़ वही के अन्तशेषों का बैंक खातों से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1.	रोकड़ वही खाता "क" पैरा 4(1) का अन्तशेष	124368.28
2.	रोकड़ वही खाता "ख" पैरा 4(2) का अन्तशेष	983347.00
	योग	**₹1107715.28**

अन्तशेष का विवरण :– दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष का विवरण निम्नानुसार था।

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	अनुदान	राशि
1.	पंजाब नेशनल बैंक नाहलिया	264500010103955	बी0 ए0 एस0 पी0	13012.77
2.	पंजाब नेशनल बैंक नाहलिया	264500010103310	आई0 डबलू0 एम0 पी0	5289.27
3.	पंजाब नेशनल बैंक नाहलिया	264500010103957	टी0 एस0 सि0	84018.77
4.	पंजाब नेशनल बैंक नाहलिया	264500010103956	आर0 ए0 वाई0	130345.77
5.	पंजाब नेशनल बैंक नाहलिया	264500010103960	14th. Finance	532985.77
6.	पंजाब नेशनल बैंक नाहलिया	264500010103309	डबलू0 डी0 एफ0	62641
7.	पंजाब नेशनल बैंक नाहलिया	264500010105503	एस0 एफ0 सि0/टी0 एफ0 सि0/सामान्य	334117
	हस्तगत राशि			0
	सावधि जमा			0
			योग	**₹1162410.35**

अन्तर ₹1162410.35–₹1107715.28=₹54695.07

6. प्राप्त अनुदानों से ₹431983 का अधिक व्यय :–

सचिव ग्राम पंचायत पिहड़ी द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों तथा वित्तीय स्थिति के अनुसार मनरेगा आई0 डब्लू0 एम0 पी0 में दिनांक 31.3.2016 को निम्नानुसार ₹431983 ऋणात्मक दर्शाई गई है, जोकि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन मनरेगा, आई0 डब्लू0 एम0 पी0 तथा बी0ए0एस0पी0 में अथवा किसी अन्य योजना में मनरेगा तथा आई0 डब्लू0 एम0 पी0 तथा बी0ए0एस0पी0 का भुगतान करने के फलस्वरूप है। इस चूक का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अवगत करवाएं।

1.	मनरेगा	31251
2.	आई0 डब्लू0 एम0 पी0	87958

3.	BASP	312774
	योग	**₹431983**

7. निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

8. पंचायत राजस्व की वसूली :–

पंचायत सचिव पिहड़ी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत राजस्व राजस्व गृहकर की ₹8370 वसूली हेतु शेष थी, जिसे अतिशीघ्र वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

1. गृहकर :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	0	10070	10070	0	10070
2014–15	10070	10070	20140	0	20140
2015–16	20140	10070	30070	21700	8370

2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म–10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अतः गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9. ₹21700 की वसूली की रसीदें जारी न करना :–

ग्राम पंचायत पिहड़ी द्वारा मास 4/2015 में ₹21700 गृहकर के रूप में प्राप्त की, परन्तु गृह स्वामियों को कोई भी रसीद जारी नहीं की; अतः इस बारे निमयानुसार रसीदें न जारी करने के

कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में पंचायत द्वारा जो भी आय प्राप्त की जाए, उसकी रसीदें जारी करना सुनिश्चित करें।

10. अनुदान ₹98334 का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट–1) के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹98334 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतीर की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11. लाभार्थियों से प्राप्त होने वाले भाग के बारे में :–

आई0 डब्लू0 एम0 पी0 अनुदान के दिशा–निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जिन लाथार्थिओं के निर्माण कार्य तथा वाटर टैंक तथा अन्य कार्यों पर व्यय किया जाता है उनसे कुल व्यय राशि का 5% भाग प्राप्त करना तथा उसे ग्राम पंचायत के पास जमा करवाना था। अंकेक्षण अवधि के दौरान आई0 डब्लू0 एम0 पी0 के लाभार्थियों से कितनी राशि प्राप्त की गई है, उसकी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई और न ही उसकी जांच की जा सकी। अतः इस बारे नियमानुसार इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12. ग्राम पंचायत द्वारा ₹272034 के भुगतान वाउचर तथा अन्य अभिलेख जांच हेतु उपलब्ध न करवाना :–

ग्राम पंचायत पिहड़ी की चयनित मासों में रोकड़ वहियों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट (ii) पर दर्शाए गए भुगतान वाउचरों के विरूद्ध ₹272034 का भुगतान किया गया, परन्तु अभिलेख में कोई भी वाउचर मूल रू‍प से उपलब्ध न था। मदों को क्रय करने के लिए निविदाएं तथा निर्माण कार्यों की मापन पुस्तिकाएं अभिलेख में नहीं थीं। अतः नियमों के विपरीत उपरोक्त अभिलेख के अभाव में भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹272034 की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए।

13. पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (A)(vi) में पंचायत निर्माण कार्यों के लिए स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट–(iii) में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹984084 का स्टॉक/स्टोर का क्रय पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए किया गया, जिसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। जांच में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयोग की गई मदों का स्टॉक रजिस्टर भी लगाया गया है तथा उसमें निर्माण कार्यों की कुछ ही मदों को दर्ज किया गया है, परन्तु परिशिष्ट में दर्शाई गई मदों को स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज न करने के कारण उनके उपयोग की जांच नहीं हो सकी। इन मदों के दुर्विनियोजन से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः मदों को नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए स्टॉक रजिस्टर तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

14. अदायगी आदेश (पे ऑर्डर) के बिना भुगतान करना :–

ग्राम पंचायत के भुगतान वाउचरों की जांच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) व (2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नकद में या चेक द्वारा कोई भी संदय तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह ग्राम पंचायत के प्रधान और पंचायत के सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित अदायगी धारित नहीं करता है। जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त भुगतान आदेशों के बिना ही भुगतान किया गया, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. मापन पुस्तिकाओं का सत्यापन न करना :–

ग्राम पंचायत पीहड़ी की मनरेगा अनुदान के अन्तर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्यांकन (Assessment) की मापन पुस्तिकाएं तकनीकी सहायकों द्वारा लिखी गई, परन्तु मापन पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का न तो सत्यापन नहीं किया गया और न ही test check किया गया। अतः उक्त के अभाव भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

16. मस्टर रोल पर संख्या दर्ज न करना तथा मस्टर रोल रजिस्टर तैयार न करना :–

ग्राम पंचायत पिहड़ी द्वारा लाखों रूपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गए तथा उन्हें मस्टर रोल पर भुगतान किया गया, परन्तु मस्टर रोल पर न तो मस्टर रोल संख्या दर्ज की गई और न ही उन्हें मस्टर रोल रजिस्टर में दर्ज किया गया। अतः उक्त के अभाव में भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

17. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	–	103
4.	मसिक समाधान विवरणी	15(1)	–
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
10.	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अतः इन अभिलेखों का रख–रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन

नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19. **लघु आपत्ति विवरणिका :–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया, अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

20. **निष्कर्ष :–** ग्राम पंचायत द्वारा विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना तथा अभिलेख के बिना आहरण करना लेखों के प्रति उदासीनता को ही दर्शाता है, जिसे विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है तथा सुझाव दिया जाता है कि वह ग्राम पंचायत पिहड़ी के लेखाओं की विस्तारपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(2)4/2016, खण्ड–1–4734–4737 दिनांकः02.09.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0 प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0
4. सचिव, ग्राम पंचायत पिहड़ी, विकास खण्ड देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

पंजीकृत

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.